ग्राम पंचायत जलाड़ी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जलाडी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :

प्रधान:

क्र. सं	नाम	अवधि
1	श्री दिलबाग सिंह	01/04/2015 से 22/01/2016
2	श्रीमति वीना देवी	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र. सं	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01/04/2015 से 06-06-2016
2	श्रीमती संदीपिका शर्मा	06-06-2016 से 23-09-2017
3	श्री अरविन्द कुमार	24-09-2017 से लगातार।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जलाड़ी, विकास खण्ड नादौन, के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹₹)
1	6	अनुदान का उपयोग न करना	34.40
2	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.03
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.05
4	12	कार्य मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	2.93
5	14	अनुदानों से करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए राजमिस्त्री को अधिक भुगतान करना	0.06
6	15	पंचायत निधि पर अनुचित प्रभार	0.19

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जलाड़ी, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) तथा श्री विद्यासागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-06-2018 से 04-06-2018 तथा श्री जितेन्द्र सिंह सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा 05-06-2018 से 11-06-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

अवधि	आय	व्यय₹₹
2015-16	03/2016	09/2015
2016-17	02/2017	02/2017
2017-18	03/2018	06/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत जलाडी, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹₹6600 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"**को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 154/2018 दिनांक 11/06/2018 के द्वारा अनुरोध किया गया I

4 वितीय स्थिति: -

ग्राम पंचायत जलाड़ी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी I

(1) स्व स्त्रौत:

ग्राम पंचायत जलाड़ी, के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	268348.00	89017.00	357365.00	17330.00	340035.00
2016-17	340035.00	76318.00	416353.00	7501.00	408852.00
2017-18	408852.00	77634.00	486486.00	31700.00	454786.00

(2) अनुदान:-

(क) ग्राम पंचायत जलाड़ी, के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है ।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1325730.00	2069445.00	3395175.00	2175238.00	1219937.00
2016-17	1219937.00	4047812.00	5267749.00	2255545.00	3012204.00
2017-18	3012204.00	2836862.00	5849066.00	2408429.00	3440637.00

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 04/2015 से 03/2018 तक की मनरेगा रोकड़ वही जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई परन्तु वित्तीय स्थिति के लिए मनरेगा से संबंधित आय-व्यय की राशी मनरेगा FTO से ली गई ।अत: रोकड़ बही प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ बही आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जाए।

5 **बैंक समाधान विवरणी:**

स्व स्त्रौत:-

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹454786

अनुदान:-

दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹3440637

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष: ₹3895423

दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष: ₹**3895268**

दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि : ₹155

कुल योग: **₹3895423**

अन्तर की राशि शून्य

6 **अनुदान ₹₹34.41** लाख **का उपयोग न करना:-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹₹3440637 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः

अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धितसंस्था को किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख की राशि वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/2018 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹3340 की राशि शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित तौर से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) गृहकर

वर्ष	**अथशेष (₹₹)**	**गृहकर की मांग (₹₹)**	**योग (₹₹)**	**प्राप्ति (₹₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹₹)**
2015-16	0	25830	25830	25830	0
2016-17	0	43050	43050	14660	28390
2017-18	28390	43050	71440	68100	3340

(2) भू-राजस्व

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भू-राजस्व (Local Rate) की राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही भू-राजस्व को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई व प्रयास किया गया जोकि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट करें। अतः अब बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अत्याधिक राशी हस्तगत रखना :---

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 10(3) की अवहेलना करते हुए सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार अत्यधिक

राशी हस्तगत रखी गईं जिसके बारे में नियमानुसार अवगत करवाते हुए इस प्रवृति पर पूर्णतय: अंकुश लगाया जाए तथा राशी बैंक में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए |

दिनांक	**राशी (₹)**
27-10-2016 से 31-10-2016	40575
01-01-2016 से 17-11-2016	34825
18-11-2016 से 19-11-2016	12147
20-11-2016 से 30-11-2016	12109
15-12-2016 से 22-12-2016	9633
23-12-2016 से 28-12-2016	13657
29-12-2016 से 16-01-2017	15004
21-1-2017 से 22-01-2017	25572
23-01-2017 से 7-3-2017	24708
08-03-2017 से 30-03-2017	18875
18-09-2017 से 20-09-2017	5000
योग	**212105**

9 **सचिव / प्रधान** द्वारा **अपने नाम से चेक** द्वारा **राशि आहरित करना :---**

सामान्य रोकड़ बही तथा बैंक पास बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि कई मामलों में सचिव /प्रधान द्वारा प्राय: राशि अपने नाम से चैक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मों तथा मजदूरों को भुगतान की है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि एक हजार से अधिक का भुगतान चेक द्वारा किया जाना अपेक्षित है | अत: सचिव के नाम से चेक द्वारा राशि आहरित करने के मामलों बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता |

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.05 लाख का **स्टॉक/स्टोर क्रय करनाः-**

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹₹405197 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इस मामले को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 143/2018 दिनांक 11-6-2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया | ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 07/2018 दिनांक 11-6-2018 के द्वारा सूचित किया है कि “ **ग्राम पंचायत में विकास कार्य की मदों का क्रय नियमानुसार निविदाओं** द्वारा **किया जाएगा** I अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 स0	**वोउचर संख्याः**	**मास**	**सामग्री का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**राशि ₹**

GENERAL CASH BOOK

1	27	05/2017	ईंटें	3000	6.10	18300
2	28	06/2017	सरिया	-	-	4052
3	29	06/2017	रेत	650CFT	20.76	13494
4	31	06/2017	रेत क्रशर बजरी बजरी	225cft 375cft 300cft	28.70 18.69 13.40	6457 7009 4020
5	32	06/2017	सरिया	-	-	4950
6	33	06/2017	सरिया	-	-	43680
7	36	06/2017	बोर्ड लिखाई	-	-	4290
8	37	06/2017	फर्निचर	-	-	29000
14th FC						
9	32	09/2015	ईंटें	9000	5.50	49500
10	33	09/2015	सरिया	-	-	33846
11	16	02/2017	बजरी रेत बजरी क्रशर बोल्डर	300cft 225cft 225cft 450cft	16 20 22 16	4800 4500 4950 7200
12	13	0/2017	बजरी बोल्डर रेत बजरी क्रशर पानी टैंक	225cft 150cft 225cft 365cft 2	16 16 20 22 500	3600 2400 4500 8030 1000
13	19	02/2017	बजरी बजरी क्रशर रेत क्रशर रेत बोल्डर	400cft 75cft 150cft 400cft	22 32 20 16	8800 2400 3000 6400
14	21	02/2017	स सोलर लाइट	4	15000	60000

15	6	06/2017	सोलिंग	225cft	16	3600
			बजरी	225cft	16	3600
			रेत क्रशर	150cft	32	4800
			बजरी क्रशर	225cft	22	4950
			पानी टैंक	2	500	1000
			रेट खड्ड	75cft	20	1500
			बजरी क्रशर	75cft	22	1650
16	8	06/2017	बजरी क्रशर	375cft	22	8250
			बजरी खड्ड	300cft	16	4800
			रेत	300cft	32	9600
			शटरिंग	-	-	2500
17	10	06/2017	बजरी क्रशर	170cft	22	3740
			रेत क्रशर	95cft	32	3040
			शटरिंग	60cft	8	480
			पानी टैंक	1	500	500
18	12	06/2017	रेत	100cft	32	3200
			बजरी	200cft	22	4400
			शटरिंग	300cft	8	2400
			पानी टैंक	2	500	1000
					योग	**405188**

12 कार्य मूल्यांकन **के बिना ₹2.93** लाख **भुगतान करना :-**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-09-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की कार्य मूल्यांकन (Work Assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा | परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹293190 का भुगतान कार्य मूल्यांकन के बिना किया गया| इस मामले को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 142/2018 दिनांक 11-6-2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया| ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 09/2018 दिनांक 11-06-2018 के द्वारा सूचित किया है कि " **कनिष्ठ अभियंता शिमला कार्यशाला हेतु गया है I अत: माप पुस्तिका आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवा दी**

जाएगी " जो कि अनुचित होने के साथ प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना है I अत: माप पुस्तिका जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जाए |

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि (₹)**
GENERAL CASH BOOK			
71	2/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या SC बस्ती	13653
72	2/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या SC बस्ती	36200
73	2/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या SC बस्ती	800
27	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या SC बस्ती	18300
28	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या SC बस्ती	4052
29	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या SC बस्ती	13500
30	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या SC बस्ती	1140
31	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या (पुराने कुँए के पास)	18621
32	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या (पुराने कुँए के पास)	4950
33	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या (पुराने कुँए के पास)	43680
34	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या (पुराने कुँए के पास)	25955
35	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या (पुराने कुँए के पास)	24166
38	6/2017	निर्माण कमुनिटी सेंटर जलाडी सोंखल्या (पुराने कुँए के पास)	27305
14th FC			
32	9/2015	निर्माण कार्य जंज घर होड़	49500
33	9/2015	निर्माण कार्य जंज घर होड़	11368
		योग	**293190**

13 खण्ड विकास अधिकारी को वापिस की गई अनुदान राशि की रसीद प्राप्त न करना :--

ग्राम पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 34 मास 9/ 2015 के अंतर्गत चेक संख्या 667361 दिनांक 7-9-2015 के द्वारा ₹60000 की राशि जो कि निर्माण कार्य "R/O well harijanbasti Jalarison khlyan "से सम्बन्धित थी, खण्ड विकास अधिकारी नादौन के कार्यालय में जमा करवाई गई I परन्तु खंड विकास अधिकारी कार्यालय नादौन द्वारा इस राशि की प्राप्ति की रसीदें सादे कागज पर जारी की गई जो कि अनुचित है I अत: खंड

विकास अधिकारी कार्यालय से इस राशी की मुद्रित रसीदें प्राप्त की जाएँ अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए I

14 अनुदानों से करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए राजमिस्त्री को ₹₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल की जाँच करने पर पाया गया कि राजमिस्त्री को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान न करने के फलस्वरूप निम्नानुसार ₹6352 का अधिक भुगतान किया गया I इस मामले को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र क्रमांक 141/2018 दिनांक 11-6-2018 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया | ग्राम पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या 08/2018 दिनांक 11-6-2018 के द्वारा सूचित किया है कि “जो निर्धारित दर से अधिक अदायगी राजमिस्त्री को की गई है वसूली प्राप्त होने के उपरांत सूचित कर दिया जाएगा ”I अत: अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए I

Vr.Mo.	Month	Period	Days	Paid@	Payable @	Diff.	Excess₹
14th FC							
15	2/2017	14/1/2017 to 30/1/2017	17	254	**242**	**12**	**204**
17	2/2017	15/1/2017 to 30/1/2017	16	254	**242**	**12**	**192**
20	2/2017	10/1/2017 to 30/1/2017	21	254	**242**	**12**	**252**
25	2/2017	1/2/2017 to 19/2/2017	19	254	**242**	**12**	**228**
27	3/2017	20/2/2017 to 28/2/2017	9	255	**242**	**13**	**117**
27	3/2017	1/1/2017 to 14/1/2017	14	255	**242**	**13**	**182**
30	3/2017	15/1/2017 to 30/1/2017	16	255	**242**	**13**	**208**
2	4/2017	5/3/2017 to 30/3/2017	26	254	**242**	**12**	**312**
7	6/2017	Period Not shown	29	254	**242**	**12**	**348**
9	6/2017	1/5/2017 to 18/5/2017	18	265	**252**	**13**	**234**
11	6/2017	17/5/2017to 21/5/2017	5	265	**252**	**13**	**65**
13	6/2017	6/6/2017 to 16/6/2017	11	265	**252**	**13**	**143**
15	6/2017	18/6/2017 to 26/6/2017	9	265	**252**	**13**	**117**
GENERAL CASH BOOK							
39	9/2016	1/8/2016 to 22/8/2016	22	254	**242**	**12**	**264**
45	11/2016	1/9/2016 to 15/9/2016	15	254	**242**	**12**	**180**
46	11/2016	12/11/2016 to 29/11/2016	18	254	**242**	**12**	**216**

55	12/2016	10/10/2016 to 22/10/2016	13	254	**242**	**12**	**156**
20	1/2017	1/1/2017 to 16/1/2017	16	254	**242**	**12**	**192**
9	4/2017	1/3/2017 to 24/3/2017	48 (2mason)	254	**242**	**12**	**576**
22	5/2017	1/4/2017 to 30/4/2017	60 (2mason)	254	**252**	**2**	**120**
34	6/2017	1/3/2017 to 29/3/2017	29	265	**252**	**13**	**377**
35	6/2017	1/5/2017 to 29/5/2017	29	254	**252**	**2**	**58**
43	7/2017	10/6/2017 to 30/6/2017	41 (2mason)	284	**252**	**32**	**1312**
59	8/2017	1/7/2017 to 24/7/2017	23	265	**252**	**13**	**299**
				योग			**6352**

15 पंचायत निधि पर ₹₹0.19 लाख का अनुचित प्रभार :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (ग) के अनुसार के अनुसार निम्नानुसार पंचायत निधि खता क से₹ ₹18900 का भुगतान वैध प्रभार न होने के कारण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए I

वोउचर संख्या	**मास**	**विवरण**	**राशि (₹)**
117	3/2018	सिलाई अध्यापिका का मानदेय	18900

16. मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच –एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत ,बजरी ,पथर ,सीमेंट लकड़ी के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत ,बजरी निर्धारित बिक फुट के अनुसार " परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण नीचे दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है| अत: इस बारे में नियमानुसार मदों की निर्धारित ईकाई सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्र0स0	वोउचर संख्या:	मास	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि ₹
14th FC						
1	22	7/2016	(i)बजरी	10 ट्राली	2000	20000
			(ii) रेत	5 ट्राली	1500	7500
			(iii) पथर	3 ट्राली	1400	4200

17 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है | परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है | इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए |

18 मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवलेहना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए "मस्ट्रोल जारी करने के रजिस्टर" में प्रविष्टी के उपरान्त जारी किये जाएँगे | इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्य पद्धति के आधार पर किया जाएगा| परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है | मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :--

1 श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन PAID HOLIDAY (सवैंतनिक अवकाश) दिया जाएगा परन्तु

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा लगातार छ: दिन से अधिक कार्य किये जाने के वाबजूद भी उन्हें PAID HOLIDAY (सवेतनिक अवकाश) नहीं दिया गया जो कि नियमों की अवहेलना है|

2. मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया जाता है को पंचायत द्वारा ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरुद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है|

3. प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है | मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है|

4. मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गईक्र राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है|

5. मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं|

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

19 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वोउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल / वोउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरांत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वोउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :--

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "**परिशिष्ट – ई**" में दिए गये अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध

हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है I

2 बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है जिस के कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है I

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में कठिनाई आई है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं I अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियम विरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है I

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(1) में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किये गए कार्य की जाँच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख में एसी किसी भी जाँच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं | यह स्पष्टतय: सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्य प्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है | इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए | इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से

नियम विरुद्ध किये गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्च अधिकारी की कर्योतर स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए|

20 सक्षम अधिकारी द्वारा **जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता|इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

21 ग्राम पंचायत द्वारा **मनरेगा ASSET रजिस्टर का रख रखाव न करना :----**

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (अस्ति) रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए|

22 मस्ट्रोल **को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-**

पंचायत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए !

23 फॉर्म 34 तैयार न करना तथा जाँच हेतु उपलब्ध न करना :--

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 19(3), 27(3), 97(5) तथा 105(5) की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मदों की मात्रा तथा राशि एवं भुगतान की गई मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मात्रा तथा भुगतान की गयी मजदूरी की पुष्टि नहीं की जा सकी|अत: ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों

में प्रयोग की गई मदों की मात्रा तथा राशि एवं भुगतान की गई मजदूरी का विवरण फॉर्म 34 पर शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए |

24 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया। इस के अतिरिक्त बहुत से बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः उपरोक्त नियम के अनुसार कारवाई नहीं करने का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इस में सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः-

सरकार द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई सामान के रूप मे अलग-अलग स्टॉक रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पृष्ठ पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तिकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उस से सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थाई स्टाक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में

पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख द्वारा नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर।
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. वर्गीकृत सार।

27 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

29 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)59/2018 खण्ड–1–6412–6415 दिनांक–29.09.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत जलाड़ी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046